

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना-23/2023

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त रू० 8,00,00,000/- (रू० आठ करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों में छात्र-छात्राओं को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने तथा संस्थान को State of the Art बनाने के निमित्त नये भवन का निर्माण तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 में योजना की स्वीकृति दी गयी एवं विभागीय पत्रांक 23/योजना दिनांक 07.10.2024 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 38,55,34,000/- (रू० अड़तीस करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गई है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 3341(नि०) दिनांक 19.12.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि रू० 8,00,00,000/- (रू० आठ करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विषयांकित कार्य के लिए राशि का उपबंध एवं निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष -06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार {Sub Scheme Head-02-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार (नाबार्ड/आर०आई०डी०एफ०)} विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण के निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी। विपत्र कोड - 43S42020210506020545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।



5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-23/2023

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-23/2023/27/योजना

/राँची, दिनांक- 06/02/2026

प्रतिलिपि :-योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ/बजट पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.2.26
सरकार के प्रधान सचिव
प्रशास्त्र